

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 15-01-2025

श्री लेख राज पुत्र श्री वेली राम, निवासी महाल गोरड़ा, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल गोरड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वेली राम पुत्र पंजु है जबकि महाल गोरड़ा के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम वली राम पुत्र पंजु दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल गोरड़ा में वली राम उर्फ वेली राम पुत्र श्री पंजु करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 23-01-2025

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव व डा0 सिहुं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 16-01-1958 को गांव सिहुं, ग्राम पंचायत सिहुं, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिहुं के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिंह के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 24-01-2025

श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव डोला व डा0 रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 25-02-1974 को गांव डोला, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 24-01-2025

देव राज पुत्र श्री बीरवल, निवासी गांव व डा0 डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती गुरदेई विधवा, निवासी गांव व डा0 डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का देहांत दिनांक 26-03-2011 को गांव डोहब में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 24-01-2025

श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री राजमल, निवासी गांव व डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राकेश शर्मा पुत्र राजमल है जबकि महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम राकेश कुमार पुत्र राजमल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल दरगेला, नागन, हाड़ा व धर्मशाल में राकेश कुमार उर्फ राकेश शर्मा पुत्र श्री राजमल करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 27 / 2024	तारीख दायरा 30-12-2024	तारीख पेशी 07-01-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी सतपाल पटियाल पुत्र खुशी राम, निवासी वार्ड नं0 1, पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी सतपाल पटियाल पुत्र खुशी राम, निवासी निवासी वार्ड
नं0 1, पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि
उसकी माता की मृत्यु दिनांक 10-07-1999 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख Muncipal Council
Kangra के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे
किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 17-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष
हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 16 / 2024 / तह0	तकसीम	तारीख पेशी 20-01-2025
-----------------------------	-------	--------------------------

सुनील कुमार आदि

बनाम

सुरिन्द्र कुमार आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 172, खतौनी नं0 238, खसरा नं0 398-405/1, कित्ता 2, रकबा 0-14-03 है0 स्थित महाल पटारकड, पटवार वृत्त मटौर जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी सुरिन्द्र कुमार, सतीश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश पुत्र झगडू, कृष्ण पाल पुत्र व सर्वश्रीमती सुती देवी, साहनी देवी, कमला देवी पुत्रियां झगडू पुत्र छजू, निवासी महाल पटारकड, मौजा नंदेहड, तहसील व जिला कांगड़ा व गोगा पुत्र प्यारे लाल पुत्र हीरा, निवासी महाल कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तिलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-01-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तकसीम	तारीख पेशी
20/2023/तह0		20-01-2025
मनीश कुमार आदि	बनाम	दविन्द्र कुमार आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 264, खतौनी नं0 361, खसरा नं0 कित्ता 7, रकबा 0-0-41-94 है0 स्थित महाल पटारकड, पटवार वृत्त मटौर जमाबन्दी साल 2017-18 तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी दविन्द्र कुमार पुत्र वीर सिंह पुत्र ज्ञान चन्द, श्रीमती पूजा कुमारी पुत्री दीप राज पुत्र ज्ञान चन्द, राकेश कुमार पुत्र व सर्वश्रीमती सन्धया देवी, रजनी देवी, रेणू देवी पुत्रियां शक्ति चन्द पुत्र किरपा, निवासी महाल पटारकड, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तिलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-01-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
74 / 24 / TEH	23-12-2024	17-01-2025

प्रार्थी कर्मजीत सिंह पुत्र तरलोकू पुत्र कौडू, निवासी महाल मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पटारकड़ व नंदेहड़, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम कौडू व काहन अलग—अलग दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम कौडू उपनाम काहन पुत्र वसाखी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम कौडू व काहन अलग—अलग की बजाए कौडू उपनाम काहन पुत्र वसाखी दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं० : 48/N/T/2024

तिथि दायरा : 26-11-2024

श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण 10-04-1965 है जो लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धमेटा में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः श्रीमती ववली देवी पुत्री मिल्खी राम, निवासी गांव समकड़, डा0 धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-04-1965 लोकल रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धमेटा में दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के जन्म पंजीकरण दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थी का जन्म पंजीकरण दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
07 / T/2024	नाम दुरुस्ती	03-07-2024	29-01-2025
सतपाल	बनाम		आम जनता।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र भोडा राम, वासी महाल सरड डोगरी, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र भोडा राम, वासी महाल सरड डोगरी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में भोडा सिंह पुत्र कांगड़ू दर्ज है जबकि उनका सही नाम भोडा राम उर्फ रोशन लाल पुत्र कांगड़ू है, लिहाजा इसे राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके भोडा राम उर्फ रोशन लाल पुत्र कांगड़ू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 29-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
11/T/2024	जन्म तिथि पंजीकरण	24-07-2024	29-01-2025

श्रीमती सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती सपना देवी पुत्री केहर सिंह, वासी महाल सिद्ध पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-12-1971 को ग्राम पंचायत पुननी में हुआ था तथा सहवन गलती से दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पुननी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 29-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/NT/B/24	तारीख दायरा : 21-12-2024	तारीख पेशी : 30-01-2025
---------------------------	--------------------------	-------------------------

दीपक कुमार पुत्र जीत राम, वासी अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में दीपक कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 11-01-2016 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। अब अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 8 / NT/B/2024

तारीख दायरा : 19-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

उजागर सिंह पुत्र मिलखी राम, वासी कुठेड़ा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में उजागर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथपत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-03-1965 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिड़ी कुठेड़ा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। अब अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिड़ी कुठेड़ा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 1 / NT/M/2024

तारीख दायरा : 16-12-2024

तारीख पेशी : 17-01-2025

परवीन कुमारी पत्नी गुरदेव सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

विषय.— Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .

श्रीमती परवीन कुमारी पत्नी गुरदेव सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्री गुरदेव सिंह पुत्र हुकम सिंह, वासी रिड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरखास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 04-03-1978 को गांव रिड़ी में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी की तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09 / NT/B/2024

तारीख दायरा : 19-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

कंचन देवी पत्नी लक्की, वासी कोई, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में कंचन देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 30-12-2018 को हुआ है तथा किसी कारणवश वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है। अब अपनी बेटी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया है।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा न ही सुना जाएगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 3 / NT/M/2024

तारीख दायरा : 20-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

अजय कुमार पुत्र दूनी चन्द, वासी रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

विषय.— Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .

अजय कुमार पुत्र दूनी चन्द, वासी रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा व श्रीमती शोभा कुमारी पुत्री भुवनेश्वर राम, वासी पोखरभिन्डा, जिला सीतामरही, बिहार ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरखास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 11-03-2024 को गांव रनोह में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02 / NT/M/2024

तारीख दायरा : 19-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

रणजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

विषय.— Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 Registration of Marriage Act, 1996 .

रणजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा व श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री पुरशोतम सिंह, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत दरखास्त दी है कि उन्होंने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 06-02-1985 को गांव घाटी विल्वां में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 समय 10.00 बजे प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई भी उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा शादी तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत हलेड़ को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 12 / NT/C/2024

तारीख दायरा : 20-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

सुशील कुमार पुत्र वावू राम, वासी महाल नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे ।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नारी में सुनील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत नारी में सुशील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में सुनील कुमार उपनाम सुशील कुमार पुत्र वावू राम पुत्र रिझा के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 13 / NT / C / 2024

तारीख दायरा : 20-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

सुशील कुमार पुत्र मंगत राम, वासी महाल बाड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे ।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल बाड़ी में सुशील पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बाड़ी में सुशील कुमार पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल बाड़ी में सुशील उपनाम सुशील कुमार पुत्र मंगत राम पुत्र सरिया के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11 / NT/C/2024

तारीख दायरा : 20-12-2024

तारीख पेशी : 20-01-2025

कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र बजीर चन्द, वासी महाल उझे, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल उझे में कुलदीप सिंह पुत्र हंस राज पुत्र धन्ना दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड व ग्राम पंचायत उझे खास में कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र बजीर चन्द पुत्र धन्ना दर्ज है जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल उझे में कुलदीप सिंह उपनाम कुलदीप सिंह वर्मा पुत्र हंस राज उपनाम बजीर चन्द पुत्र धन्ना के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Ateet Dutt aged 36 years s/o Sh. Umesh Dutt, r/o Village Darang, Post Office & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

2. Citlaly Gutierrez Rodelo aged 36 years d/o Sh. Juan Jose Gutierrez Melendrez, r/o Nuevo Horizontes presagio 3356, Culiacan Sinaloa, Mexico

Applicants.

Versus

General Public

Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 11-11-2022 at r/o State 9 delegation 1 Court (Mexico City) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 13-01-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 13-01-2025 at 11.00 A.M. will not entertain by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this day 12th day of December, 2024 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.*
